(01)

संख्याः 1532/ III(1)/19–190(PWD)/01 टीसी–11

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–1 देहरादून, दिनांक 01 नवम्बर ~~अक्टूबर~~, 2019

विषयः–लोक निर्माण विभाग के संरचनात्मक ढांचे में संवर्गीय पदों के अन्तर्गत पदों/कार्यालय के पदस्थापना में संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–1385/III(1)/19–190(PWD)/01, दिनांक 25.09.2019 एवं शासनादेश संख्या–1406/III(1)/19–190(PWD)/01, दिनांक 01.10..2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत संवर्गीय ढांचे में स्वीकृत संवर्गीय पदों के अन्तर्गत पदों/कार्यालयों के पद स्थापना में संशोधन किया गया है। उक्त शासनादेश दिनांक 01.10.2019 के क्रमांक–4 में अधीक्षण अभियन्ताओं के कार्यालयों के सापेक्ष जनपद उधमसिंहनगर, सिविल वृत्त को द्वितीय वृत्त, नैनीताल के अन्तर्गत समायोजित किया गया था। प्रमुख अभियन्ता द्वारा अपने पत्र दिनांक 05.10.2019 के द्वारा यह अगवत कराया गया कि प्रश्नगत वृत्त, उत्तराखण्ड राज्य के गठन से पूर्व से ही वर्ष 1984 से स्थापित था। साथ ही उक्त वृत्त का कार्यक्षेत्र अत्यधिक विस्तृत है, जिसे यथावत् बनाये रखे जाने का प्रस्ताव शासन को प्रस्तुत किया गया है।

A.O (वाण)
1/11/2019
EE-1

2– अतः इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत शासनादेश दिनांक 01.10.2019 में आंशिक संशोधन करते हुये चतुर्थ वृत्त, उधमसिंहनगर को यथावत् बनाये रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

अतः तद्क्रम में शासनादेश दिनांक 25.09.2019 एवं शासनादेश दिनांक 01.10.2019 के अन्तर्गत शेष अन्य पदों के कार्यालय/मुख्यालय एवं पद/कार्यदायित्व यथावत् रहेंगे।

2875
01/11/19

भवदीय,
Om Prakash
(ओम प्रकाश)
अपर मुख्य सचिव

संख्याः– ——— /III(1)/19–190(PWD)/01 टीसी–11, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. अपर मुख्य सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त, गढवाल/कुमांऊ मण्डल, उत्तराखण्ड।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

Rajwar GO Letter

6. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
8. समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर–1/2, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
9. वित्त अनुभाग–7, उत्तराखण्ड शासन।
10. लोक निर्माण अनुभाग–2/3 उत्तराखण्ड शासन।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रदीप मोहन नौटियाल)
अनु सचिव

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
व्यवस्थापन 'क' वर्ग
लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड, देहरादून

UTTARAKHAND

Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Phone & Fax:- 0135-2530467,2530431 Web- http:/govt.ua.nic.in/pwd E-Mail-eicpwduk@nic.in

पृष्ठांकन पत्रसंख्या– 2875 / 03व्यक–सा0 / 2019 दिनांक– 01 / 11 / 2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

01. समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड, लोक निर्माण विभाग।
02. समस्त वरिष्ठ स्टॉफ अफिसर, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
03. वित्त नियंत्रक, विभागाध्यक्ष कार्यालय लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
04. सम्बन्धित जिलाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी।
05. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उत्तराखण्ड, लोक निर्माण विभाग,
06. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग,
07. समस्त अधिशासी अभियन्ता, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
08. अधिशासी अभियन्ता, आई0टी0, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त ज्ञाप की प्रति को लोक निर्माण विभाग की वेबसाईट पर अपलोड़ करना सुनिश्चित करें।
09. कनिष्ठ अभियन्ता, (प्राविधिक), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
10. समस्त मुख्य / वरिष्ठ / प्रशासनिक अधिकारी, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
11. समस्त वैयक्तिक सहायक विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
12. गार्ड पत्रावली हेतु।

1/11/2019
अधिशासी अभियन्ता (अधिष्ठान)
विभागाध्यक्ष, कार्यालय
लोक निर्माण विभाग, देहरादून